बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या FC-833

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक–

विषय – जमुई जिलान्तर्गत SH-82 लछुआर–जमुई–गरही–रूपावेल–कौआकोल में रूपावेल तक भाया कुण्डघाट भगवान महावीर जन्मस्थली 0.00–25.05 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (वन क्षेत्र में पड़ने वाले पथांश Ch.6000-17000=11.000 KM एवं Ch. 21100-22300=1.200 KM Total 12.200 KM) हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 5.795 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि जमुई जिलान्तर्गत SH-82 लछुआर–जमुई–गरही–रूपावेल–कौआकोल में रूपावेल तक भाया कुण्डघाट भगवान महावीर जन्मस्थली 0.00–25.05 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (वन क्षेत्र में पड़ने वाले पथांश Ch.6000-17000=11.000 KM एवं Ch. 21100-22300=1.200 KM Total 12.200 KM) के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 5.795 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, जमुई का प्रस्ताव वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 190 (ई०) दिनांक 16.02. 1994 द्वारा ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 5.795 हे० वन भूमि एवं 75 वृक्षों के पातन का आकलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, वन प्रमंडल, जमुई द्वारा किया गया है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है–

क्रम सं0	पातित होने वाले वृक्षों की संख्या	
	0.00-60 CM तक	60 CM से अधिक
1	50	25

अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.3 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा

परियोजना का निर्माण प्राकृतिक वन क्षेत्र में पूर्व स्थापित वन पथ को चौड़ा किया जाना है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के समतुल्य, पर्यावरण एवं वन विभाग को क्षतिपूरक वनीकरण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली 5.829 हे० (14.40 एकड) गैर वन भूमि हरखाड़ थाना न० 266, खाता सं0 37, खेसरा संख्या 34 में चिन्हित की गयी है जिसे Stage-I के उपरान्त प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग को हस्तान्तरित की जायेगी। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि हस्तान्तरित की जाने वाली गैर वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त है।

तद्आलोक में रू० 21,23,585/– मात्र का क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा उपलब्ध कराई गयी है। चिन्हित गैर वन भूमि का Geo-referenced नक्शा तैयार कराया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

प्रयोक्ता एजेंसी– कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, जमुई के द्वारा पूर्व में समर्पित दस प्रस्ताव में Stage-I की स्वीकृति के उपरान्त भी NPV, CA एवं PCA आदि से संबंधित राशि जमा नहीं की गयी है एवं प्रस्ताव पर Stage-II की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है परन्तु कार्य सम्पादन किया गया है (सूची संलग्न)।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक वन भूमि–24/12 613 (ई0)/ प0व0 दिनांक 24.05.2018 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में राज्य स्तरीय समिति की बैठक बुला कर की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 5.795 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 36,27,670/– (रूपये छत्तीस लाख सताईस हजार छः सौ सत्तर) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 5.795 हे० वन भूमि के बदले जमुई जिलान्तर्गत मौजा हरखाड में समतुल्य चिन्हित गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू० 21,23,585/– मात्र का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा तैयार कर भेजा गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय स्तर पर प्रस्ताव को अनुमोदित करने के उपरान्त राज्य स्तरीय समिति की बैठक बुलाने हेतु निर्देश देने की कृपा की जाय।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।